संख्या-05/2018/2510/22-2-2017-17(62)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34596/प्रोबे0-5-दयायाचिका/1007 दिनांक 22.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण सिंह, जो ग्राम-फहीमपुर, थाना-सिखेडा, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा घटना से पूर्व में हुई हत्या की रंजिश को लेकर दिनांक 12.01.2000 को 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथियारों से अन्धाधुन्ध फायरिंग कर 08 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-343,344/2000 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 148, 452 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दंडित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा यथावत रखा गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा मृत्यु को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.02.2017 तक 17 वर्ष 01 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 00 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उचचतम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 05 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रवीर (बन्दी संख्या-8243) पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2018/2510(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in